

श्री अफाक अहमद खाँ, मा० सदस्य, बिहार विधान परिषद् द्वारा सदन में दिनांक- 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०- 1/212/1221 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत गयाजी नगर प्रखण्ड के ग्राम-बेलथू में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने के लिए 25.02.2025 को स्वीकृति दी गयी है।	स्वीकारात्मक
(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना का टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है एवं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के 03 सितंबर 2025 को शिलान्यास किया गया है।	स्वीकारात्मक
(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गयाजी के नगर प्रखण्ड के ग्राम बेलथू में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-644, दिनांक-27.02.2025 द्वारा गयाजी के नगर प्रखण्ड के ग्राम बेलथू में योजना निर्माण की स्वीकृति दी गयी, परन्तु उक्त भूमि पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर वाद सं० CWJC NO-13060/2025 में निर्गत आदेश के आलोक में तथा कार्य हित में नगर प्रखण्ड के बेलथू मौजा की जगह नगर प्रखण्ड के दुर्बे मौजा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-08-ग०-आ०वि०-19/2026...../ पटना, दिनांक:-.....
प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(संतोष कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-08-ग०-आ०वि०-19/2026...862.../ पटना, दिनांक:- 21/02/2026
प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव